



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों मोनू उर्फ मानसिंह व अंकित को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04-04 वर्ष का कठोर कारावास व 05-05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में अभियुक्तों 1-मोनू उर्फ मानसिंह पुत्र ओमप्रकाश उर्फ ओमी व 2-अंकित पुत्र महावीर निवासीगण नगला जाफराबाद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 185/19 धारा 306/354घ भादवि व 11(5)/12 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 25.09.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों मोनू उर्फ मानसिंह व अंकित को दोषी पाते हुए धारा 306 भादवि में प्रत्येक को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



नरेंद्र सिंह पंवार
एडीजीसी



का0 योगेश
कोर्ट पैराकार

@baghatpolice

baghatpolice

Baghat Police



बागपत पुलिस

मिशन शक्ति फेज-5.0 सराहनीय कार्य



थाना दोघट की 'मिशन शक्ति' टीम ने गुमशुदा युवती को 24 घंटे में किया सकुशल बरामद।

उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही मुहिम में जनपद बागपत पुलिस ने एक और प्रशंसनीय कार्य किया है। पुलिस अधीक्षक बागपत के कुशल निर्देशन में थाना दोघट पुलिस की 'मिशन शक्ति' टीम ने त्वरित और प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक गुमशुदा युवती को 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद किया गया है।

थाना दोघट की मिशन शक्ति टीम को एक सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा टीकरी निवासी युवती बिना बताए घर से कहीं चली गई है। मामले की गंभीरता को समझते हुए, पुलिस अधीक्षक बागपत ने तत्काल इस पर संज्ञान लिया और थाना दोघट की मिशन शक्ति टीम को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 'मिशन शक्ति' टीम ने तुरंत युवती की तलाश शुरू कर दी। टीम ने सभी संभावित स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया, सूचना तंत्र को सक्रिय किया और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया। पुलिस के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप, गुमशुदा युवती को अगले ही दिन गौरीपुर से सकुशल बरामद कर परिजनो को सुपुर्द किया गया।

परिजनों ने जनपद बागपत पुलिस की त्वरित कार्रवाई, सहयोग और बेटी को सुरक्षित वापस लाने के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। जनपद बागपत पुलिस का यह कार्य 'मिशन शक्ति' अभियान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह अपराधियों के बीच एक कड़ा संदेश भी देता है कि पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील और सक्रिय है।



नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन



बागपत पुलिस

मिशन शक्ति फेज-5.0 सराहनीय कार्य



ऑपरेशन स्माइल अभियान/मिशन शक्ति-5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना बि नौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 296/25 धारा 87/137(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अपहृताओं को सकुशल किया बरामद

उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी ' मिशन शक्ति' अभियान के तहत, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही मुहिम में जनपद बागपत पुलिस ने एक और प्रशंसनीय कार्य किया है। पुलिस अधीक्षक बागपत के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 296/25 धारा 87/137(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अपहृताओं को जनपद गाजियाबाद से सकुशल बरामद किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 25.09.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 390/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस तथा मु0अ0सं0 393/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त प्रदीप उर्फ चिन्टू को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.07.25 को थाना कोतवाली बागपत वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसके ट्रक नं0-UP-17 BT-0164 को चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 390/25 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।



नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में दो अभियुक्तों 1- रितेश पुत्र भारत निवासी पूजा कालोनी मंगल विहार ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद व 2- गुलफाम पुत्र निजामुद्दीन निवासी तिकोना पार्क माता कालोनी बागपत को गिरफ्तार कर जिला कारागार बागपत निरुद्ध किया जा चुका है तथा चोरी किये हुए ट्रक को बरामद किया जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं स्वाटी टीम बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 390/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 393/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में बांछित 25000/- रुपये के इनामी बदमाश प्रदीप उर्फ चिन्टू को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रदीप उर्फ चिन्टू पुत्र रमेशचन्द निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- निरीक्षक श्री तपेश्वर सागर प्रभारी स्वाट टीम बागपत।
- 2- उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3- उ0नि0 श्री कैलाशचन्द थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4- है0का0 435 आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 5- का0 369 विशाल पवार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 6- है0का0 370 इरशाद अहमद स्वाट टीम बागपत।
- 7- है0का0 469 नरेन्द्र नागर स्वाट टीम बागपत।
- 8- है0का0 681 दीपक कुमार स्वाट टीम बागपत।
- 9- है0का0 680 अमरजीत स्वाट टीम बागपत।
- 10- है0का0 351 पवन नागर स्वाट टीम बागपत।
- 11- का0 403 नितिन त्यागी स्वाट टीम बागपत।
- 12- का0 402 विशाल पूनिया स्वाट टीम बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागत

थाना खेकड़ा

दिनांक 25-09-2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 100 किलोग्राम अवैध पटाखे तथा तस्करी में 01 श्री व्हीलर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध पटाखों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 100 किलोग्राम अवैध पटाखे तथा तस्करी में प्रयुक्त 01 श्री व्हीलर नम्बर UP 14 JT 9110) बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 324/25 धारा 5/9B(1)bविस्फोटक अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. विशाल पुत्र सत्येन्द्र कुमार निवासी ग्राम बंथला थाना लोनी जिला गाजियाबाद ।
2. सुमित पुत्र राजवीर निवासी ग्राम बंथला थाना लोनी जिला गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- पटाखे वजन करीब 100 किलोग्राम ।

- तस्करी में प्रयुक्त 01 श्री व्हीलर नम्बर **UP 14 JT 9110**

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री कुलजीत सिंह थाना खेकडा ।
2. है0का0 516 सतेन्द्र गिरि थाना खेकडा ।
3. है0का0 599 सचिन कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकडा

दिनांक 25.09.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 316/25 धारा 65(1)/333
बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 316/25 धारा 65(1)/333 बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रिजवान पुत्र अली हसन निवासी खिवाई थाना सररपुर जिला मेरठ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक अपराध श्री ओमप्रकाश आर्य थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. है0का0 353 नरेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक- 25.09.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 21 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 21 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

योगेश पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम ईदरीशपुर थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 21 पच्चे अवैध देशी शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-है0क0 748 रामजीलाल थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-का0 951 पिताम्बर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 25.09.2025

ऑपरेशन स्माइल अभियान/मिशन शक्ति-5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 296/25 धारा 87/137(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अपहृताओं को सकुशल किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान/वर्तमान में प्रचलित मिशन शक्ति-5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 296/25 धारा 87/137(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अपहृताओं को जनपद गाजियाबाद से सकुशल बरामद किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 714 रविन्द्र सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
- 3- है0का0 440 राशिद खॉन थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4. है0का0 451 गुरदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत

5. म0का0 870 मनीषा थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 25.09.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 269/25 धारा 305 बीएनएस में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ
01 इनवर्टर व 1800 रूपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.09.2025 को थाना रमाला पर
वादी श्री विकास कुमार पुत्र विरेन्द्र सिंह
निवासी ग्राम हसनपुर जिवानी थाना रमाला
जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि
अज्ञता अभियुक्तों द्वारा आवेदक की दुकान से
01 लेपटाप, 02 इनवर्टर, 02 बैटरी व 06
हजार रुपये कैश चोरी कर लिये हैं । इस
सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना
कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 269/25
धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की
गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के
मु0अ0सं0 269/25 धारा 305 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया



गया है। जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 इनवर्टर व 1800 रूपये नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आकाश पुत्र रमेश निवासी ग्राम कासिमपुर खेडी थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 इनवर्टर माइक्रोटेक ।
- 1800 रूपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्वाँ थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री सूरज सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-हो0गा0 548 रविन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।

